सीएम ने किया एआई इम्पैक्ट समिट का अवलोकन

नीवक्लाउड के सीईओ से किया संवाद

भोपाल, 20 फरवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026 नई दिल्ली में नीवक्लाउड के प्रदर्शनी स्टॉल का अवलोकन किया. साथ ही नीवक्लाउड के फाउंडर एवं सीईओ नरेन्द्र सेन से कंपनी की गतिविधियों एवं भावी योजनाओं की जानकारी ली.

डॉ. यादव को श्री सेन ने बताया कि नीवक्लाउड की स्थापना भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से की गई है. कंपनी स्वदेशी एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है, जिससे देश का डेटा देश में ही सुरक्षित रह सके. नीवक्लाउड और रैकबैंक के साथ वर्तमान में 150 से अधिक कुशल प्रोफेशनल्स कार्यरत हैं, जो इंजीनियरिंग, एआई, क्लाउड, डेटा सेंटर ऑपरेशंस और रिसर्च के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं.

श्री सेन ने बताया कि कंपनी स्वदेशी एआई चिप के विकास की दिशा में भी कार्य कर रही है. इसका उद्देश्य विदेशी निर्भरता कम करना, संवेदनशील डेटा को देश में सुरक्षित रखना और रणनीतिक तकनीक पर भारत का नियंत्रण सुनिश्चित करना है. अब तक 700 करोड़ रुपये का निवेश सुरक्षित किया जा चुका है और आगामी पाँच वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर तकनीक के विकास के लिए प्रस्तावित है. रैकबैंक के माध्यम से ऊर्जा-कुशल और हाई-डेंसिटी एआई डेटा सेंटर्स स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे रोजगार सृजन और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल रहा है.

उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एआई, क्लाउड और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका है. इस प्रकार के नवाचार देश को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे.

> मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जेनस्पार्क एआई के वैश्विक जीटीएम प्रमुख श्री ब्रेनो मेलो से वन-टू-वन बैठक कर राज्य में समाधान प्रदाता के रूप में उनकी भूमिका, उपलब्ध तकनीकी समाधानों के उपयोग और एमओयू के अनुरूप पायलट प्रोग्राम प्रारंभ करने पर चर्चा की. सर्वम एआई के सह-संस्थापक डॉ. प्रत्युष कुमार से वन-टू-वन बैठक में फुल-स्टैक सॉवरेन एआई मॉडल विकसित करने, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर चर्चा की.

इसके साथ ही एआई समिट में डॉ. यादव ने विभिन्न अग्रणी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं के साथ वन-टू-वन संवाद किया. एनवीडिया की उपाध्यक्ष (ग्लोबल एआई इनिशिएटिव्स) सुश्री कैलिस्टा रेडमंड से पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की स्थापना, स्टार्टअप्स को सब्सिडी दरों पर जीपीयू उपलब्ध कराने, स्थानीय साझेदारों को सशक्त बनाने के लिए सहयोग तंत्र विकसित करने और तकनीकी टूल्स, संसाधन और लाइब्रेरी उपलब्ध कराने पर चर्चा की. इस अवसर पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

गूगल पेवेलियन का किया आवलोकन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गूगल पेवेलियन का अवलोकन किया. उन्होंने कंट्री डायरेक्टर आशीष वाटल एवं कंपनी के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ उच्च-स्तरीय संवाद किया. एआई, संवर्धित वास्तविकता (एआर) और आभासी वास्तविकता (वीआर) सहित मानचित्र-आधारित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से मध्यप्रदेश में पर्यटन नवाचार को सुदृढ़ करने की संभावनाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ. चर्चा में पुरातात्विक एवं धरोहर स्थलों के सजीव आभासी भ्रमण, व्यक्तिगत यात्रा अनुभवों का सृजन, वास्तविक समय यात्री सहभागिता, एआई-संचालित गंतव्य विश्लेषण और सतत पर्यटन विकास जैसे विषय प्रमुख रहे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एआई-संचालित क्रिकेट इंस्टॉलेशन का भी अनुभव किया, जहाँ वास्तविक समय विश्लेषण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन सुधार में एआई की उपयोगिता का प्रदर्शन किया गया.

एएसआई के कहने पर रिश्वत का पैसा लेने पहुंचे चालक को लोकायुक्त ने दबोचा

समझौता करने के एवज में मांगी गई थी एक लाख की रिश्वत

नवभारत न्यूज

रीवा, 20 फरवरी, रीवा जिले के सेमरिया थाना अन्तर्गत आने वाले चचाई पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई के वाहन चालक को लोकायुक्त टीम ने उस समय 30 हजार रूपये लेते धरदबोचा जब वह एएसआई के कहने पर रिश्वत की राशि लेने पहुंचा था.

शिकायत में समझौता कराने के एवज में एक लाख की रिश्वत एएसआई ने मांगी थी. आरोपी एएसआई एवं वाहन चालक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया है.

लोकायुक्त से मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता शिव कुमार कोल निवासी चचाई द्वारा लोकायुक्त एसपी कार्यालय में शिकायत की थी कि उसकी बहू श्रीमती मालती कोल का झगड़ा पड़ोसी छोटू कोल की पत्नी से हो गया था. जिसके बाद छोटू की पत्नी ने चौकी में शिकायत की कि मेरे पुत्र पुष्पेन्द्र कोल ने उसके साथ मारपीट की और गलत काम किया है.

शिकायतकर्ता ने बताया कि पुलिस उसके घर पूंछताछ करने पहुंची और मुझे चौकी प्रभारी से मिलने के लिये कहा गया. मुलाकात के दौरान चौकी प्रभारी रामपाल दाहिया एएसआई ने समझौता कराने के एवज में एक लाख की रिश्वत मांगी. एसपी लोकायुक्त सुनील कुमार पाटीदार ने मामले की जांच कराई तो शिकायत सही पाई गई और एसपी के निर्देश में आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने टीम गठित की गई.

वाहन चालक पहुंचा पैसा लेने -शिकायतकर्ता पैसे लेकर चौकी चचाई मोड़ के पास पहुंचा और रिश्वत के पैसे देने की बात कही. जिस पर आरोपी चौकी प्रभारी एएसआई रामपाल दाहिया ने अपने वाहन चालक अंकुर कुशवाहा को शिकायतकर्ता से रिश्वत के रूपये लेने के लिये भेजा. जैसे ही आरोपी के वाहन चालक अंकुर ने 30 हजार रूपये लिये उसी दौरान लोकायुक्त की टीम ने धरदबोचा. कार्यवाही उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार के नेतृत्व में की गई. साथ ही में 12 सदस्यीय टीम मौजूद रही. आरोपी एएसआई रामपाल दाहिया एवं वाहन चालक अंकुर के खिलाफ धारा 7 (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संसोधन अधिनियम 2018 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही है.

> **30 हजार लेते टीम ने पकड़ा: एसपी**
> इस संबंध में लोकायुक्त एसपी सुनील कुमार पाटीदार ने बताया कि मारपीट की शिकायत हुई थी. जिस पर चचाई चौकी प्रभारी एएसआई रामपाल दाहिया ने समझौता कराने के एवज में एक लाख की रिश्वत मांगी थी. आरोपी एएसआई के कहने पर उसका वाहन चालक 30 हजार रूपये लेने पहुंचा था. जिसे लोकायुक्त की टीम ने पकड़ लिया. दोनो के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.

तीन किलो गांजा के साथ दो युवक गिरफ्तार

हीरो स्प्लेंडर बाइक और दो मोबाइल जब्त, एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 20 फरवरी। कोतवाली वैढ़न पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो युवकों को तीन किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 66 जेडएफ 5737 तथा दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया।

जानकारी के अनुसार 19 फरवरी को पुलिस को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से गांजा की डिलीवरी करने वाले हैं। सूचना के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए टीम ने घेराबंदी की। हीरावती अस्पताल के पीछे गनियारी मैदान के पास संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोका गया। तलाशी के दौरान उनके पास से तीन किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम अजय कुमार बैस 20 वर्ष निवासी हर्रईदूध, थाना माड़ा तथा चंदन जायसवाल 21 वर्ष निवासी मकरोहर थाना वैढ़न बताया। दोनों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी वैढ़न निरीक्षक अशोक सिंह परिहार सहित पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।

विधानसभा अध्यक्ष आज आयेंगे रीवा

रीवा, 20 फरवरी, विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर 21 फरवरी को विशेष विमान से दोपहर 2.25 बजे रीवा एयरपोर्ट पहुंचेगे. तदुपरांत सड़क मार्ग से प्रस्थान कर अपरान्ह 3.50 बजे सतना जिले के धारकुड़ी आश्रम में परमहंस स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे. विधानसभा अध्यक्ष शाम 5.50 बजे रीवा एयरपोर्ट आयेंगे तथा विशेष विमान से शाम 6 बजे ग्वालियर रवाना होंगे.

नगर निगम के सभी जोन में चलाया गया स्वच्छता अभियान

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 20 फरवरी। नगर पालिक निगम सिंगरौली की आयुक्त सविता प्रधान के निर्देशानुसार शहर के प्रत्येक जोन के आवासीय,सार्वजनिक स्थलों की सफाई श्रमदान के माध्यम से की गई ।

वैढन एवं ग्रामीण जोन अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास,नवजीवन विहार में शाखा मैदान,जयंत जोन में मस्जिद मार्केट,मोरवा जोन में बस स्टैंड,फल मंडी में सफाई की गई। अभियान के दौरान सामूहिक भागीदारी से सर्वजनिक स्थलो सहित कालोनियो की साफ - सफाई कराने के साथ आम जन मानस को अपने दैनिक दिनचर्या में स्वच्छता आवश्यक रूप से शामिल करने हेतु जागरूक किया गया। साथ ही सभी स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में आयोजित सफाई अभियान के दौरान नगर निगम डिप्टी कमिश्नर आरपी बैस, स्वास्थ्य अधिकारी बीजी चतुर्वेदी, सहित प्रतिनिधि, सामाजिक संस्थानों के प्रतिनिधि एवं नागरिकों की सहभागिता रही ।

दस माह से लापता पति के लिये दो मासूम को लेकर भटक रही पत्नी

नवभारत न्यूज

रीवा, 20 फरवरी, रीवा जिले से खाकी और रिश्तों की संवेदनहीनता का एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है.

जहाँ एक महिला पिछले 10 महीनों से अपने लापता पति की तलाश में पुलिस मुख्यालय और थानों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसे आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ. आखों में आंसू और गोद मे 2 जुड़वा बेटियों को लेकर मीडिया से न्याय की गुहार लगाई है. मामला रीवा के समान थाना क्षेत्र का है, जहाँ शारदापुरम पोखरी टोला निवासी मोनू रजक ने बताया कि उनके पति राज बहादुर रजक बीते 25 मार्च 2025 से रहस्यमय तरीके में लापता हैं. राज बहादुर रतहरा बाईपास में गाड़ी चलाने का काम करते थे. घटना के दिन वे काम पर जाने का कहकर घर से निकले थे, जिसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं लगा है. उनका मोबाइल फोन भी लगातार बंद आ रहा है.

समान पुलिस पर लापरवाही के आरोप- पीड़िता मोनू का आरोप है कि उन्होंने 'समान थाना' और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कई बार गुहार लगाई, लेकिन पुलिस का रवैया उदासीन बना हुआ है. महिला ने आरोप लगाया कि जब भी मैं थाने जाती हूँ, साहब कहते हैं कि मोबाइल बंद है तो हम क्या करें? 10 महीने बीत गए, लेकिन पुलिस ने लोकेशन तक ट्रेस करने की गंभीरता नहीं दिखाई. पीड़ित महिला ने न केवल व्यवस्था, बल्कि अपने ससुराल पक्ष पर भी प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. मोनू का कहना है कि उनके सास-ससुर उन्हें घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं.

कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय बैढ़न, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

क्रमांक / सिस / 2026 / 1118 दिनांक 20/02/26

वाहन स्टैण्ड वसूली हेतु आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला चिकित्सालय सह ट्रामा सेंटर में वाहन स्टैण्ड की वसूली के लिये आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। आवेदन फार्म जिला चिकित्सालय के सचिव रोगी कल्याण समिति शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन दिनांक 21.02.2025 से 05.03.2026 सायं 04 बजे तक जमा किया जावेगा एवं दिनांक 06.03.2026 को दोपहर 4 बजे कार्यालय में खोली जावेगी। आवेदन खोलते समय आवेदनकर्ता उपस्थित रह सकते है। आवेदन फार्म, नियम एवं शर्ते कार्यालयीन समय में 500.00 जमा कर प्राप्त किये जा सकेंगे अमानत राशि के रूप में 10000.00 की डीडी आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त कार्य वर्ष 2026-27 के लिये होगा। निविदाकार आवश्यक दस्तावेज (जैसे फर्म का पंजीयन, पेन कार्ड, आधार कार्ड) उपलब्ध कराना होगा । वाहन स्टैण्ड आवेदन निरस्त करने का अधिकार सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पास रहेगा। पूर्व में कार्य कर चुके निविदाकार नही कर सकेगें ।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय बैढ़न जिला सिंगरौली (म0प्र0)

आपसी समझौता पत्र

रामकरण प्रसाद साकेत उर्फ रामकरन पिता स्व. रामऔतार उर्फ औतार साकेत उम्र-71 वर्ष, एवं 25 अन्य निवासी ग्राम-देवरा पोस्ट-पचौर थाना-बैढ़न तहसील व जिला-सिंगरौली (म.प्र.) 486886 आधार नं. 2106 1845 7447

........**प्रथमपक्षगण/इकरारकर्तागण**

में. एक्सेस बिल्डर्स इन्डस्ट्रीज पता प्लाट नं. 341 ग्राम-गनियारी पोस्ट व थाना-बैढ़न तहसील-सिंगरौली (नगर) जिला-सिंगरौली (म.प्र.) पार्टनर/ भागीदार (1) छोटेलाल शाह पिता स्व. कंचन प्रसाद शाह उम्र-49 वर्ष निवासी ग्राम-गनियारी पोस्ट-बैढ़न, तहसील व जिला-सिंगरौली (म.प्र.) पार्टनर/भागीदार (2) राजेश कुमार साकेत पिता श्री रामकिशुन साकेत उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम-भॉड़ी, पोस्ट-खुटार, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)के है

........**द्वितीयपक्ष/इकरारग्रहिता**

आज दिनांक 19.02.2026 को यह आपसी समझौता पत्र हम उभयपक्षों के मध्य निष्पादित कराया जा रहा है:- (1) यह कि हम उभयपक्ष उपरोक्त पते के निवासी होकर एक दूसरे को भली-भाति जानते व पहचानते है। (2) यह कि मे. एक्सेस बिल्डर्स इन्डस्ट्रीज, पता प्लाट नं. 341 ग्राम-गनियारी पोस्ट व थाना-बैढ़न तहसील-सिंगरौली (नगर)जिला-सिंगरौली (म.प्र.) नामक फर्म के पार्टनर/भागीदार द्वितीयपक्षगण है। (3)यह कि भूमि आ.नं. 244/1 रकवा 1.3390 हे. स्थित ग्राम-देवरा तहसील सिंगरौली (नगर) जिला-सिंगरौली (म.प्र.)की भूमि है जिसके भूमिस्वामी प्रथमपक्षगण राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख रहे है। (4)यह कि दिनांक 13.12.2018 को उक्त भूमि का अंश रकवा 0.9390 हे. भूमि को प्रथमपक्षगण द्वारा द्वितीयपक्ष के उक्त में. एक्सेस बिल्डर्स इन्डस्ट्रीज पता प्लाट नं. 341 ग्राम-गनियारी पोस्ट व थाना-बैढ़न तहसील-सिंगरौली नगर, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)के नाम पंजीयन रजिस्ट्री करा दिया गया है। (5) यह कि द्वितीयपक्ष के उक्त पार्टनर राजेश कुमार साकेत को प्रथमपक्षगण वगैरह है एवं द्वितीयपक्ष के उक्त पार्टनर छोटेलाल शाह के सहमति एवं रजामन्दी से दिनांक 10.02.2026 को श्रीमान न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश महोदय वरिष्ठ खण्ड बैढ़न के समक्ष उपस्थित होकर दावा वापस उक्त राजेश कुमार साकेत द्वारा लिया गया है उक्त रामकरण प्रसाद साकेत, लाले साकेत एवं जवाहरलाल साकेत वगैरह, उक्त द्वितीयपक्षगण के छोटेलाल शाह, राजेश कुमार साकेत द्वारा एक दूसरे के खिलाफ कई जगह शिकायत किया गया है, जिसमें आज दिनांक को समझौता पत्र निष्पादित कराया जा रहा है, जिसमें कोई भी पक्ष एक दूसरे के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं चाहते है, उक्त सम्पूर्ण भूमि में से उक्त छोटेलाल शाह द्वारा दिनांक 31.03.2024 को दिलीप कुमार शाह पिता स्व. राममिलन शाह निवासी ग्राम-बिलौजी को फर्म की भूमि को रजिस्ट्री कराया गया था उक्त रजिस्ट्री के सम्बन्ध में विचाराधीन प्रकरण क्र. 190/2024 न्यायालय श्रीमान न्यायाधीश महोदय वरिष्ठ खण्ड बैढ़न जिला-सिंगरौली (म.प्र.) के प्रकरण में उक्त राजेश कुमार साकेत को उक्त दिलीप कुमार शाह के रजिस्ट्री में हक त्याग हेतु प्रथमपक्षगण एवं उक्त छोटेलाल शाह द्वारा इस वजह से कहा जा रहा है भागिता विलेख संशोधनों एवं समझौता पत्रों के आधार पर सम्पूर्ण हिस्सा उक्त राजेश कुमार साकेत को प्राप्त होगा क्योंकि उक्त रजिस्ट्री दिनांक 31.03.2024 में फर्म का कोई भी दस्तावेज व उक्त राजेश कुमार साकेत का हस्ताक्षर नही है, इसलिये उनका हक व हिस्सा सुरक्षित है। (6) यह कि उक्त दिलीप कुमार शाह के उक्त रजिस्ट्री में कानूनी कार्यवाही हेतु कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के लिये उक्त रजिस्ट्री दिनांक 31.03.2024 में हक त्याग एवं राशि हेतु जो समझौता पत्र/शपथ पत्र उक्त राजेश कुमार साकेत द्वारा उक्त छोटेलाल शाह के खाते में प्राप्त हो रही है के सम्बन्ध में निष्पादित कराया जा रहा है उसमें उक्त राजेश कुमार साकेत का कोई भी हक हिस्सा प्रभावित नही हो रहा है, जिस बावत उक्त रामकरण प्रसाद साकेत व 25 अन्य, छोटेलाल शाह एवं राजेश कुमार साकेत के मध्य आपसी समझौता पत्रों का निष्पादन कराया जाकर समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया है, उक्त फर्म की नगद राशि के खिलाफ रामसकल शाह के खिलाफ जो चेक बाउन्स का केश न्यायालय किया गया है उक्त में भी छोटेलाल शाह समझौता कर सकते है एवं समझौता के अनुसार हिस्सा बांट सकते है। (7) यह कि हम उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार की अप्रिय घटना कारित हो जाती है तो उस स्थिति में हम उभयपक्ष के वारिसों को यह विलेख बंधनकारी होगा। (8) यह कि हम उभयपक्षों को उक्त इकरारनामा विलेख में वर्णित उपरोक्त सभी शर्ते बंधनकारी होगा, किसी भी पक्ष द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पिड़ित पक्षकार इस विलेख के जरिये कानूनी कार्यवाही करते हुये न्याय प्राप्त कर सकेगा, जिसमें उभयपक्ष को कोई भी आपत्ति नही है न भविष्य में होगी, यदि उभयपक्ष द्वारा कोई भी आपत्ति किया जाता है तो वह झूठा व अमान्य होगा। लिहाजा यह आपसी समझौता पत्र हम उभयपक्ष अपने-अपने शुद्ध चित्त एवं बुद्धि से दो भले गवाहों के समक्ष लिखा दिये कि प्रमाण रहे वक्त पर काम आवे।

दिनांक 19.02.2026

हस्ता. प्रथमपक्ष .... **हस्ता. द्वितीयपक्ष....................**

चितरंगी-बसनियां मार्ग में जगह-जगह गिरा भारी भरकम राखड़

राखड़ परिवहन में अनुमति किसने दी,पर्यावरण नियमों की खुली धज्जियां

नवभारत न्यूज

चितरंगी 20 फरवरी। चितरंगी के मुख्य मार्ग पर जगह-जगह पड़े राखड़ के ढेर और ट्रकों से उड़ती धूल ने पर्यावरण सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि परसोहर-चितरंगी मार्ग पर भारी वाहनों से राखड़ का परिवहन खुलेआम किया जा रहा है, जिससे सड़क पर प्रदूषण फैल रहा है और राहगीरों का चलना तक मुश्किल हो गया है।

रहवासियों का कहना है कि ट्रकों से गिरती राखड़ और तेज रफ्तार वाहनों के गुजरते ही उड़ती धूल से न केवल दृश्यता प्रभावित होती है बल्कि सांस संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इस मार्ग से राखड़ परिवहन की अनुमति किसने दी और किन शर्तों पर दी गई।

यदि अनुमति है तो सुरक्षा और पर्यावरण मानकों का पालन क्यों नहीं हो रहाए और यदि अनुमति नहीं है तो यह गतिविधि अब तक कैसे जारी है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पर्यावरण विभाग और प्रशासन दोनों ही इस गंभीर मुद्दे पर मौन साधे हुए हैं। प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के अनुसार ढके बिना परिवहनए सड़क पर गिरा अपशिष्ट और खुले में डंपिंग स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं फिर भी जिम्मेदार अमला मौके से नदारद दिखाई देता है। लोगों का कहना है कि बार.बार शिकायतों के बावजूद न तो सफाई की व्यवस्था की गई और न ही परिवहन पर नियंत्रण के ठोस कदम उठाए गए। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि तत्काल जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। राखड़ परिवहन के मानक तय किए जाएं और सड़क की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। नागरिकों का साफ कहना है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गएए तो यह लापरवाही पर्यावरण और जनस्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।

शांति समिति की बैठक 23 को

सीधी 20 फरवरी। अपर कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी त्यौहारों दिनांक 3 मार्च 2026 को होली, 21 मार्च 2026 को ईद-उल-फितर, 27 मार्च 2026 को रामनवमी, 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती तथा 14 अप्रैल 2026 को डॉ. आंबेडकर जयंती-को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से 23 फरवरी 2026 को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक टीएल बैठक के पश्चात प्रात: 11.30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार, सीधी में आयोजित होगी। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं संबंधित सदस्य उपस्थित रहेंगे।

बैठक 25 को-कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) म. प्र.पू. क्षे. वि. वि.कं.लि., सीधी ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु वृत्त स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25 फरवरी 2026 को प्रात: 11.30 बजे से कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) कार्यालय, नौढ़िया में आयोजित की गई है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों एवं उपभोक्ताओं से निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने तथा बैठक में सहभागिता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है,

नाम सुधार सूचना

मैं, अक्षत कुमार पाण्डेय, पुत्र श्री रजनीश कुमार पाण्डेय, निवासी 1266, वार्ड 10, यूनिवर्सिटी रोड, पारस नगर, रीवा, जिला रीवा (म.प्र.) विधिवत शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरी कक्षा 10वीं की CBSE अंकसूची में मेरे पिता का नाम "Rajneesh Kumar Pandey" **अंकित है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, मेरे कक्षा 12वीं की अंकसूची में मेरा नाम** "Akshat Pandey" **अंकित है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, और मेरे** B.Tech. **की अंकसूची में मेरा नाम** "Akshat Pandey" **तथा मेरे पिता का नाम** "Rajneesh Kumar Pandey" **अंकित है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। जबकि मेरा सही नाम** Akshat Kumar Pandey **एवं मेरे पिता का सही नाम** Rajnish Kumar Pandey **है, जो कि मेरे सभी अन्य शासकीय दस्तावेजों आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में अंकित है। उपरोक्त सभी नामों में अंतर केवल वर्तनी** (Spelling) **की त्रुटि के कारण है तथा यह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अत: निवेदन है कि भविष्य में मेरे एवं मेरे पिता के सही नाम** "Akshat Kumar Pandey" **,व** "Rajnish Kumar Pandey" **दर्ज किया जाए एवं पढ़ा, लिखा व जाना जाए। यदि उपरोक्त कथन असत्य पाया जाता है तो मैं विधि अनुसार उत्तरदायी रहूँगा।**

अक्षत कुमार पाण्डेय

RN-83361

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे द्वारा मौजा ग्राम-कढ़मानु, पटवारी हल्का-दुर्गापुर तहसील-नागौद जिला सतना म.प्र. में स्थित **खसरा क्रमांक** 10/2 (S) **रकबा** 4.0470 **हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में विम्मी पिता मदन पत्ता-90 सी.एल.आई.जी. फ्लैट्स, मादीपुर वेस्ट दिल्ली 110063 के नाम पर दर्ज है एवं **खसरा क्रमांक** 10/3 (S) **रकबा** 4.0470 **हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में विम्मी मालोत्रा पता-दक्षिण दिल्ली एवं **खसरा क्रमांक** 10/4 (S), 42/20 (S), **रकबा क्रमश : 4.0470 हेक्टेयर व 1.0110 हेक्टेयर** के नाम पर दर्ज है एवं **खसरा क्रमांक** 10/5/1 (S) **रकबा** 1. 9970 **हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में राजाभैया यादव पिता सुनन्दी यादव पता-कढमानु, नागौद सतना मध्यप्रदेश के नाम पर दर्ज है एवं **खसरा क्रमांक** 10/5/2 (S) **रकबा** 2.0500 **हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में लक्ष्मीबाई यादव पति राजाभैया यादव पता-कढमानु, नागौद सतना मध्यप्रदेश, के नाम पर दर्ज है एवं **खसरा क्रमांक** 11/2 (S) **रकबा** 4.0470 **हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में इन्द्रपती पिता फलादी पता-कढमानु, नागौद सतना मध्यप्रदेश के नाम पर दर्ज है एवं **खसरा क्रमांक** 11/3 (S) **रकबा** 4. 0470 **हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में रामसिया पिता कन्धीला पता-कढमानु, नागौद सतना मध्यप्रदेश के नाम पर दर्ज है एवं **खसरा क्रमांक** 11/4 (S) **रकबा** 4.0470 **हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में रामनाथ पिता रामगरीब पता-कढमानु, नागौद सतना मध्यप्रदेश के नाम पर दर्ज है एवं **खसरा क्रमांक** 11/5 (S) **रकबा** 4.0470 **हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में बैजनाथ पिता रामगरीब पता-कढमानु, नागौद सतना मध्यप्रदेश के नाम पर दर्ज है। एवं **खसरा क्रमांक** 11/6 (S) **रकबा** 4.0470 **हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में ददुवा पिता राम गरीब पता-कढमानु, नागौद सतना मध्यप्रदेश के नाम पर दर्ज है। एवं **खसरा क्रमांक** 11/7/1 (S) **रकबा** 0.5059 **हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में मात्रा प्रसाद शुक्ला पिता बैज नाथ पता-रोड मध्यप्रदेश सतना के नाम पर दर्ज है। एवं **खसरा क्रमांक** 11/7/2 (S) **रकबा** 3.5411 **हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में विम्मी पिता मदन पता-75 सी.एल.आई.जीत्र फ्लैट्स, मादीपुर वेस्ट दिल्ली 110063 सतना के नाम पर दर्ज है। एवं **खसरा क्रमांक** 14/3/1 (S) **रकबा** 0.3600 **हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में कृष्णकांत पिता रमाकंकन पता-द्वारीखुर्द नागौद सतना म. प्र. के नाम पर दर्ज है। एवं **खसरा क्रमांक** 14/3/2 (S), 14/3/3 (S), 14/21/3 (S), 14/21/4(S), **रकबा क्रमशः** 0.1100 **हेक्टेयर**, 0.0160 **हेक्टेयर** 0.2180 **हेक्टेयर** 0.0160 **हेक्टेयर**, जो कि राजस्व अभिलेखों में विनोद पिता रमाकंकन ब्राम्हण पता-द्वारीखुर्द नागौद सतना म.प्र. के नाम पर दर्ज है। एवं **खसरा क्रमांक** 42/21 (S) **रकबा** 20230 **हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में बृजभूषण पिता नंदीलाल ब्राम्हण पता कढमानु, नागौद, सतना म.प्र.सतना के नाम पर दर्ज है। एवं **खसरा क्रमांक** 42/23 (S) **रकबा** 2.0230 **हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में विकाश पिता बेटू उर्फ अनिल जाति ब्राम्हण पता- रौड नागौद सतना मध्यप्रदेश, सृष्टी पिता बेटू उर्फ अनिल जाति ब्राहम्ण पता- रौड नागौद सतना मध्यप्रदेश, सविता पत्नी बेटू उर्फ अनिल जाति ब्राहम्ण पता- रौड नागौद सतना मध्यप्रदेश के नाम पर दर्ज है। एवं **खसरा क्रमांक 42/24 (S) रकबा** 2.0230 **हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में नवल पिता वंश गोपाल पता-बहेरवा सतना म.प्र. के नाम पर दर्ज है। एवं **खसरा क्रमांक 42/25 (S) रकबा** 2.0230 **हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में **देवशरण पिता महेशप्रसाद जाति ब्राम्हण पता- बहेरवा सतना म.प्र.** के नाम पर दर्ज है। एवं **खसरा क्रमांक** 45/14 (S) **रकबा** 2.0230 **हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में जागेश्वर पिता अर्जुन जाति अहीर पता भाजीखेरा सतना मध्यप्रदेश के नाम पर दर्ज है। एवं **खसरा क्रमांक** 45/21/1 (S) **रकबा** 1.0120 **हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में जलेबीलाल यादव पिता भूरा यादव अहीर पता भाजीखेरा सतना मध्यप्रदेश के नाम पर दर्ज है। **खसरा क्रमांक** 45/21/2 (S) **रकबा** 1.0110 **हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में रामखिलावन यादव पिता भूरा यादव जाति अहीर पता भाजीखेरा सतना मध्यप्रदेश के नाम पर दर्ज है। एवं **खसरा क्रमांक** 45/33 (S) **रकबा** 2.0230 **हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में जयनारायण पिता राधेलाल जाति काछी पता उस रहा सतना म.प्र. के नाम पर दर्ज है। **खसरा क्रमांक 45/36 (S) रकबा 2.0230 हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में बंदीलाल पिता कारेलाल कुशवाहा जाति काछीपता सा० देवरी सतना मध्य प्रदेश के नाम पर दर्ज है। एवं **खसरा क्रमांक** 45/39 (S) **रकबा 2.0230 हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में जवाहर पिता हरिशचंद्र पता कढमानु, नागौद, सतना म.प्र. के नाम पर दर्ज है। एवं **खसरा क्रमांक** 42/3 (S), 42/7 (S), 44 (5) **रकबा क्रमशः 2.0230 हेक्टेयर 1.2540 हेक्टेयर 1.4160 हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में भयाजी पिता रामवहोरी जाति ब्राहम्ण पता कढमानु, नागौद, सतना म.प्र.के नाम पर दर्ज है। एव खसरा क्रमांक **खसरा क्रमांक** 45/33 **रकबा 2.0230 हेक्टेयर** जो कि राजस्व अभिलेखों में जयनारायण वल्द राधेलाल सा. उसरहा, जाति काछी के नाम पर दर्ज है।

उक्त सभी खसरों (कुल योग **67.124 हेक्टेयर भूमि (165.79 एकड़)** का पंजीयन सत्या पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड के नाम पर होना तय है। उक्त सौदे पर जिस किसी बैंक, संस्था, व्यक्ति या अन्य किसी को आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर दस्तावेज सहित आपत्ति हमारे उल्लेखित पते पर प्रस्तुत करें। विचाराधीन समयावधि के पश्चातू आपत्ति मान्य नहीं होगी। सो सूचना जाने।

सत्या पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड
निर्देशक - शिखर अग्रवाल
AIPL Tower, सी.एम.डी. चौक बिलासपुर (छ.ग.)
मोबाईल क्रंमाक - 8982020000, 9300312849, 7000110234

(संदीप भारती)
अधिवक्ता
सिरगिट्टी बिलासपुर
मोबाईल - 9399670244

पेज एक का शेष

सदन में लगातार दूसरे दिन भागीरथपुरा मामले में हंगामा

यहां काम करने में परेशानी आती है. हमने घटना के बाद दो ट्रक नारियल पानी भिजवाया, तीन रात सोया नहीं, हाथ जोड़कर निजी अस्पतालों में इलाज सुनिश्चित कराया. सीएम ने भी संदेश दे दिया था कि प्रभावितों का नि:शुल्क इलाज कराया जाएगा. फिर भी हम 22 लोगों की जान नहीं बचा सके. लापरवाही करने वालों को तत्काल हटाया गया. उन्होंने स्वीकार किया कि समय पर पैसा दिया, संसाधन दिया लेकिन समय पर काम नहीं हो सका. घटना के बाद इंदौर की सभी पानी टंकियों को साफ कराया गया, प्रदेश स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया. भागीरथपुरा में 13 किमी लंबी लाइन का काम पूरा करा दिया गया है, 16 किमी की लाइन और बिछा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इंदौर गिरकर उठना जानता है. इस दाग से भी हम उबर जाएंगे. इंदौर पहले भी नंबर वन था, अब भी है और आगे भी रहेगा. उन्होंने कहा कि इस मामले में स्थगन को ग्राह्य करने की आवश्यकता नहीं है. इसी बीच पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा ने पाइंट ऑफ आर्डर का मामला उठाते हुए कहा कि सवाल नियम का नहीं व्यवस्था का है. ये मामला सब ज्यूडियश है. पांच रिट पिटीशन दायर है. ऐसे मामले को सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो कि न्यायिक या अर्ध न्यायिक है. इस पर कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने जानना चाहा कि सीतासरश शर्मा किस नियम के तहत पाइंट ऑफ आर्डर का मामला उठा रहे हैं.

चर्चा में हिस्सा लेते नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पूरा सत्ता पक्ष इस बात में लगा है कि सदन में चर्चा नहीं हो, लेकिन उन प्रभावित परिवारों से जाकर पूछो कि क्या वे चर्चा चाहते हैं या नहीं. मंत्री ने सिस्टम की गलती स्वीकारी है, तो क्या ये गलती केवल अफसरों की है, इसके लिए कोई मंत्री, नेता जिम्मेदार नहीं है. इंदौर में लगातार घोटाले हो रहे हैं, यहां एक रात में 5 किमी सीवेज लाइन बिछा दी जाती है. बिना काम के 27 करोड़ का भुगतान कर दिया जाता है.

नाम सुधार सूचना

मै अवधेश केवट पिता श्री जगदीश प्रसाद केवट निवासी कोल्हुआ सतना का होकर सूचित कर रहा हूं कि मेरा ड्राईविंग लाइसेंस बना है जिसका नं.MP19 20205095093 है जिसमें मेरा नाम AWADESH PRATAP KEWAT दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि सही नाम AWADESH KEWAT है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है. अत: मेरे ड्राईविंग लाइसेंस में दर्ज नाम AWADESH PRATAP KEWAT के स्थान पर सही नाम AWADESH KEWAT दर्ज किया जाए जो सत्य एवं सही है.